# न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता , बुण्डू (राँची)
## RM वाद संख्या–35 / 13–14
## छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46

17/6/13

### आदेश

विक्रेता का नाम एवं पता – श्री अकलू उराँव पिता–स्व0 डाडू उराँव
ग्राम–डोड़ेया पोस्ट–तमाड़ थाना–तमाड़
जिला–राँची।

क्रेता का नाम एवं पता– श्री गोपाल कृष्ण पातर पिता–स्व0 खेत्रमोहन पातर
ग्राम–कामारहापा थाना–तमाड़ जिला–राँची।

विद्वान अधिवक्ता का नाम– श्री दुर्गा प्रसाद राय।

विक्रेता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक–10 / 05 / 13 को क्रेता श्री गोपाल कृष्ण पातर पिता–स्व0 खेत्रमोहन पातर ग्राम–कामारहापा थाना–तमाड़ जिला–राँची के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री की अनुमति माँगी है।

भूमि का विवरण

| मौजा | थाना नं0 | खाता सं0 | प्लॉट सं0 | रकवा |
|---|---|---|---|---|
| तमाड़ | 241 | 24 | 1619 | 0.19 ए0 |
| | | | 1620 | 0.15 ए0 |
| | | | कुल– | 0.34 एकड़ |

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी , तमाड़ से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई । साथ ही साथ सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम इस्तेहार भी निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी ,तमाड़ के पत्रांक–290(II) दिनांक–07 / 06 / 13 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। ( अभिलेख के साथ संलग्न ) जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :–

(क) प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत का नाम इड़गू उराँव वगैरह दर्ज है।

(ख) उपरोक्त भूमि के विक्रय के उपरांत आवेदक के पास 1.66 एकड़ भूमि शेष बच जाती है।

(ग) आवेदक को अपने मकान निर्माण एवं अन्य आवश्यक कार्य के लिए पैसों की आवश्यकता है इसलिए भूमि की बिक्री करना चाहते हैं।

(घ) दोनों क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जन जाति के सदस्य है ,एवं एक ही थाना क्षेत्र तमाड़ के निवासी हैं।

उपरोक्त प्रतिवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी ,तमाड़ ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत विक्रेता श्री अकलू उराँव पिता–स्व0 डाडू उराँव ग्राम–डोड़ेया पोस्ट–तमाड़ थाना–तमाड़ जिला–राँची को क्रेता श्री गोपाल कृष्ण पातर पिता–स्व0 खेत्रमोहन पातर ग्राम–कामारहापा थाना–तमाड़ जिला–राँची के हाथों प्रस्तावित भूमि के विक्रय करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

न्यायालय के द्वारा दिनांक–14/05/13 को निर्गत आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

पुनः दिनांक–14/06/13 को विक्रेता एवं क्रेता का बयान न्यायालय में दर्ज किया गया। दिए गए बयान से स्पष्ट है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री विक्रेता के द्वारा अपने मकान निर्माण एवं अन्य आवश्यक कार्य हेतु किया जाना है।

अतः अंचल अधिकारी ,तमाड़ की अनुशंसा एवं विक्रेता के बयान के आलोक में निम्नलिखित भूमि को विक्रेता श्री अकलू उराँव पिता–स्व0 डाडू उराँव ग्राम–डोड़ेया पोस्ट–तमाड़ थाना–तमाड़ जिला–राँची को क्रेता श्री गोपाल कृष्ण पातर पिता–स्व0 खेत्रमोहन पातर ग्राम–कामारहापा थाना–तमाड़ जिला–राँची के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत दी जाती है। आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम पर नहीं करेंगे।

भूमि का वितरण

| मौजा | थाना नं0 | खाता सं0 | प्लॉट सं0 | रकवा |
|---|---|---|---|---|
| तमाड़ | 241 | 24 | 1619 | 0.19 ए0 |
| | | | 1620 | 0.15 ए0 |
| | | | कुल– | 0.34 एकड़ |

लेखापित एवं संशोधित

17/6/13

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता ,
बुण्डू राँची।

17/6/13

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता ,
बुण्डू राँची।